

राजस्थान –सरकार


निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एव परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।
क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/एस-338/19/500

दिनांक:- 23-05-19

आदेश

श्री सुधीर, नर्स-2 (परिवीक्षाधीन), खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रतनगढ, चूरु का रोग की बीमारी एव पारिवारिक कारण से दिनांक 16.03.2017 से दिनांक 26.03.2017 तक (11) दिवस एव दिनांक 27.01.2018 से 30.01.2018 तक (04) दिवस कुल (15) दिवस का असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-I दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उद्योग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक परिवीक्षा काल में अभिवृद्धि की जावेगी।



(मुकुल क.सिंघा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:ई-11/ नर्सिंग/नर्स-2/एस-338/19/500

दिनांक:- 23-05-19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी, रतनगढ, चूरु।
- 2 खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी रतनगढ, चूरु।
- 3 संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- 4 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
- 5 आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।